THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) In the Seventh Five Year Plan, a provision of Rs. 577 crores has been made for the scheme of allotment of house sites and provision of construction assistance to the rural landless labour. During the years 1985-86 & 1986-87, the expenditure was Rs. 102.85 crores and Rs. 142 crores (anticipated), respectively.

(b) and (c) Yes, sir. House-sites are allotted to the beneficiaries free of cost and construction assistance is provided to them. The 7th Five Year Plan scheme provides for Rs. 500/- for site development and Rs. 2000/- for construction assistance per family. For Uttar Pradesh, the plan outlay and the actual expenditure during the first 2 years of the 7th Five Year Plan were as follows:

(Rs. in crores)

1985-86		1986-87	
Outlay	Expdr.	Outlay	Expdr.
3.70	5.97	5.10 (anticipated)	5.30

उत्तर प्रदेश को जल आपूर्ति

2345. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं और इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विशिष्टि सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

पेय जल आपूर्ति राज्य का एक विषय है और राज्य सरकारें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें कार्य रूप देने तथा कार्यन्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं । भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता देकर केवल राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है । त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 1986-87 में 34.70 करोड़ रुपये और 1987-88 में अभी तक 23.62 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं ।

दिल्ली में परिक्रमा रेल

2346. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित किये गये शहरी यातायात कार्यदल के संयोजक ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि दिल्ली में में परिक्रमा रेल विफल रही है क्योंकि इसे यातायात की मुख्य धारा के साथ जोड़ा नहीं जा सका; और

(ख) यातायात योजना के संचालन तथा अनुरक्षण के लिये एवं उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये क्या सुझाव दिये गये है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी विकास मंत्रालय ने किसी समिति अथवा कार्यकारी दल का गठन नहीं किया था । तथापि, योजना आयोग ने रिंग रेलवे की समस्याओं पर विचार करने के लिए डा० एम० क्यू० दल्वी की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1982 में एक समिति का गठन किया था जिसमें रिंग रेलवे सेवा की अलोकप्रियता के लिए निम्नलिखित कारण बताये :—

(i) रिंग रेलवे के साथ-साथ भू-उपयोग की अपर्याप्तता :

(ii) आने-जाने वालों के लिए रेलवे स्टेशनों का पहुच से बाहर होना ।

(iii) डी० टी० सी० फीडर सेवा की अपर्याप्तता ।

(iv) मार्गस्थ यात्रा में अधिक प्रतिक्षा/पंक्तियों में लगना जो इस समय काफी अधिक है ।

(v) दिल्ली से जाने वाली परिधीय वाहनों पर रिंग रेलवे पर ई० एम० यू० सेवा का विस्तार न होना, इस तरह से दिल्ली क्षेत्र में विस्तृत रेल नेट वर्क पर रेल सेवाओं का एक अंगभूत भाग नहीं बन पा रहा है ।

(ख) दल्वी समिति द्वारा रिंग रेलवे पर रेल सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए दिये गये सुझाव इस प्रकार थे :—

(i) रिंग रेलवे पर ई० एम० यू० सेवाओं की बारम्बारता में वृद्धि ।

(ii) रिंग रेलवे में ई० एम० यू० सेवाओं का 3 परिधीय वाहनों अर्थात् दिल्ली/नई दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली/नई दिल्ली से शकूरबस्ती, दिल्ली/नई दिल्ली से पलवल जिनका पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है, तक विस्तार ।

(iii) उन अन्य परिधीय लाइनों का विद्युतीकरण जिनका अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है और उन पर ई० एम० यू० सेवाएं चलाना । रिंग रेलवे पर ई० एम० यू० सेवाओं में वृद्धि करने के प्रश्न पर रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और इस तथ्य के कारण कि रिंग रेलवे वस्तुतः मात्र यातायात को गुजारने के लिये दिल्ली से बचकर निकलनेवाली लाइन है, इसलिए ई० एम० यू० सेवाओं की बारम्बारता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।

जहां तक विद्युतीकरण परिधीय लाइनों में ई० एम० यू० सेवाओं की बारम्बरता में विस्तार/वृद्धि या जिन परिधीय लाइनों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनका विद्युतीकरण करना और उन पर ई० एम० यू० सेवाएं चलाने का संबंध है, यह बताया जाता है कि यह निधियों की उपलब्धता तथा इन परिधीय लाइनों की क्षमता पर भी निर्भर करेगा ।

Development of land by Everest Himalaya Cooperative Group Housing Society Ltd.

2347. SHRI RAFIQUE ALAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while alloting land in 1984 at Plot No. 8 Patpar Ganj to the Everest Himalaya Cooperative Group Housing Society Ltd., the DDA promised to develop the plot in due course;

(b) whether it is also a fact that despite several requests made to the DDA the land was not developed by them and ultimately it was developed by the Society Members themselves on the understanding that the cost would be reimbursed by the DDA;

(c) whether the cost of development has since been reimbursed to the Society by the DDA; and

(d) if not, what are the reasons for the delay and by when the Society is likely to get the amount spent by it on the development of the land as per the original agreement with the DDA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) DDA is responsible to provide peripheral services in Zone E-13 where a plot has been allotted to Everest Himalaya Cooperative Group Housing Society Ltd. along with other Societies. No development is to be done by the DDA within individual plot. As such there is no question of any agreement with or reimbursement of cost by the DDA.

Declaration of rivers as national assets

2348. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare rivers of the country as national